UNIVERSITY NEWS 28 MARCH 2026

AMAR UJALA

लविवि में अब प्रवेश परीक्षा के परिणामों की भी करा सकेंगे जांच

माई सिटी रिपोर्टर

कुलपति की अध्यक्षता में हुई परीक्षा समिति की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और नकल मुक्त बनाने के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं। कुलपति प्रो. जेपी सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई परीक्षा समिति की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। नए फैसलों के मुताबिक परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी प्रायोगिक परीक्षाएं सीसीटीवी निगरानी में कराई जाएंगी और रिकॉर्डिंग को तीन महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा।

नकल की परिभाषा को तकनीकी रूप से विस्तृत किया गया है। अब मोबाइल, ब्लूटूथ, वायरलेस उपकरण या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग नकल की श्रेणी में आएगा। किसी अन्य व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता लेना भी अनुचित साधन माना जाएगा। इसके अलावा जल्द ही सभी सेमेस्टर के लिए परीक्षा फॉर्म यथाशीघ्र खोले जाएंगे।

अनफेयर मीन्स (यूएफएम) अध्यादेश संशोधन भी पास किया गया है। परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी, कुलानुशासक प्रो. राकेश द्विवेदी, लूटा अध्यक्ष प्रो. अनित्य गौरव, अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. अमिता कनौजिया समेत अन्य कई संकायों के अधिष्ठाता उपस्थित रहे।

वहीं, अब विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के नतीजों की जांच कराना संभव होगा। अभ्यर्थी 300 रुपये शुल्क देकर अपने परिणाम का पुनर्मूल्यांकन करा सकेंगे। साथ ही सेमेस्टर परिणाम जारी होने से पहले कुल उत्तर पुस्तिकाओं में से पांच प्रतिशत कॉपियों का स्वतः पुनः परीक्षण किया जाएगा। हर प्रश्नपत्र के लिए उत्तर कुंजी या समाधान भी उपलब्ध कराया जाएगा।

सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करते हुए परीक्षा केंद्रों पर बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। बिना अनुमति कोई भी कर्मचारी या प्रबंधतंत्र का सदस्य परीक्षा कक्ष में नहीं जा सकेगा। कक्ष निरीक्षकों को संदिग्ध छात्रों की तलाशी लेने का अधिकार दिया गया है, जबकि विशेष उड़नदस्ते औचक निरीक्षण करेंगे।

सामूहिक नकल पर परीक्षा केंद्र होगा ब्लैकलिस्ट

सामूहिक नकल के मामलों में विश्वविद्यालय सख्त रुख अपनाएगा। दोषी पाए जाने पर परीक्षा केंद्र को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और परीक्षा निरस्त की जा सकती है। अपराध की गंभीरता के अनुसार दंड तय होगा, जिसमें परीक्षा निरस्तीकरण से लेकर निष्कासन और एफआईआर तक शामिल हैं।

बैठक में इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

- प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए एक प्रमुख परीक्षक और आवश्यकतानुसार उप परीक्षक नियुक्त किए जाएंगे।
- परीक्षकों का मानदेय ऑनलाइन भरा जाएगा। इसके लिए नया मॉड्यूल विकसित किया जाएगा।
- परीक्षा केंद्र और परीक्षार्थी के दायरे को स्पष्ट किया गया है। लविवि परिसर के साथ जिन संबद्ध कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, इस नियमावली के अधीन होंगे। परीक्षार्थी की श्रेणी में नियमित छात्रों के साथ-साथ एक्स-स्टूडेंट, बैक पेपर, इम्प्रूवमेंट और एग्जेम्प्टेड छात्र भी शामिल माने जाएंगे।

DAINIK JAGRAN

प्रवेश परीक्षा परिणाम की करा सकेंगे जांच

लवि : कुलपति की अध्यक्षता में हुई परीक्षा समिति की बैठक नकल पर भी सख्ती

जासं • लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय में अब प्रवेश परीक्षा परिणाम से संतुष्ट न होने पर अभ्यर्थी उसकी पुनः जांच करा सकेंगे। यह सुविधा 300 रुपये शुल्क के साथ उपलब्ध रहेगी। यही नहीं, विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम जारी होने से पहले कुल उत्तर पुस्तिकाओं का पांच प्रतिशत फिर से जांच के लिए चयनित किया जाएगा ताकि गलती की संभावना न हो। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए उत्तरकुंजी भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह निर्णय शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी की अध्यक्षता में हुई परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया।

बैठक में विश्वविद्यालय ने यूएफएम अध्यादेश में संशोधन करते हुए नकल की परिभाषा को विस्तार दिया है। अब केवल कागज की पर्चियां ही नहीं, बल्कि मोबाइल फोन, वायरलेस उपकरण, ब्लूटूथ, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक्स गैजेट या किसी भी अनधिकृत यंत्र का प्रयोग 'नकल' की श्रेणी में आएगा। यदि कोई छात्र परीक्षा कक्ष में किसी अन्य व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता लेता है, तो उसे भी अनुचित साधन का प्रयोग माना जाएगा। इसे चार श्रेणियों में बांटा गया है। परीक्षार्थी के पास ऐसी सामग्री मिलती है जो परीक्षा विषय से संबंधित नहीं है, तो उसे दोषमुक्त माना जा सकता है।

इस तरह होगी कार्रवाई : यदि परीक्षार्थी के पास विषय से संबंधित सामग्री मिलती है लेकिन उसने उसका प्रयोग नहीं किया है, तो उस प्रश्नपत्र की परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। इसके अलावा यदि परीक्षार्थी नकल सामग्री का उपयोग अपनी उत्तर-पुस्तिका में करता है, तो उसके वर्तमान वर्ष/सेमेस्टर की संपूर्ण परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। नकल में दंडित परीक्षार्थियों को अपनी बात रखने के लिए एक 'अपीलीय समिति' के समक्ष अपील करने का मौका भी मिलेगा। बैठक में विभिन्न संकायों के अधिष्ठाता, छात्र कल्याण संकाय प्रो.अमिता कनौजिया, लूटा अध्यक्ष प्रो. अनित्य गौरव, लुआक्टा अध्यक्ष डा. मनोज पांडेय, परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी आदि शामिल रहे।

लखनऊ विश्वविद्यालय सहयुक्त महाविद्यालय शिक्षक संघ (लुआक्टा) अध्यक्ष डा. मनोज पांडेय ने बताया कि लवि में परीक्षा समिति की बैठक सीतापुर शिक्षा संस्थान में आयोजित सभी प्रायोगिक परीक्षाएं निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि बीते 23 मार्च को इस कालेज में एन डी कालेज के शिक्षक डा. नितिन पांडेय परीक्षा कराने गए थे। आरोप है कि वहां उन पर अधिक नंबर देने का दबाव बनाया गया। विरोध पर अपमानजनक व्यवहार किया गया। उनकी शिकायत पर यह कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। हालांकि लवि के प्रवक्ता प्रो. मुकुल श्रीवास्तव का कहना है कि इस निर्णय की जानकारी नहीं है।

300 रुपये शुल्क देना होगा इस सुविधा का लाभ लेने के लिए, प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए उत्तर कुंजी भी उपलब्ध कराई जाएगी

ये भी निर्णय

- सभी सेमेस्टर के लिए परीक्षा फार्म जल्द खोले जाएंगे।
- कालेजों के प्रबंधतंत्र के सदस्यों या कर्मचारियों को भी बिना विशेष अनुमति के परीक्षा कक्षों में जाने की अनुमति नहीं होगी।
- कुलपति की अनुमति से विशेष उड़नदस्तों का होगा गठन।
- सभी प्रायोगिक परीक्षाएं सीसी कैमरे की निगरानी में होंगी, जिसे तीन माह तक संबंधित कालेजों को सुरक्षित रखना होगा।
- मूल्यांकन में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए एक प्रमुख परीक्षक और आवश्यकतानुसार उप परीक्षक नियुक्त किए जाएंगे।
- परीक्षकों का मानदेय आनलाइन भरा जाएगा। इसके लिए नया मॉड्यूल विकसित किया जाएगा।
- सीतापुर शिक्षा संस्थान की प्रयोगात्मक परीक्षाएं निरस्त

उत्तर पुस्तिका लेकर कोई विद्यार्थी भागा तो विश्वविद्यालय से निष्कासन भी

यदि कोई परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका लेकर भाग जाता है, तो केंद्र व्यवस्थापक उसके विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराने के साथ ही अब संबंधित छात्र को विश्वविद्यालय/कालेज से निष्कासित भी कर दिया जाएगा। वहीं, उत्तर-पुस्तिका फाड़ने, नकल की सामग्री नष्ट करने, परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाने या कक्ष निरीक्षक को धमकाने जैसे काम करने पर विश्वविद्यालय से निष्कासन और पूरी परीक्षा निरस्त करने की कार्रवाई होगी। यदि कोई कर्मचारी किसी परीक्षार्थी की अनुचित सहायता करते पाया गया, तो उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी केंद्र पर सामूहिक नकल की रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो उस केंद्र की उस पाली या संपूर्ण परीक्षा को निरस्त किया जा सकता है।

HINDUSTAN

एलयू में प्रवेश परीक्षा के नतीजों की विद्यार्थी करा सकेंगे जांच

सुरक्षा- प्रवेश पर कड़े प्रतिबंध

निरीक्षकों की भूमिका बढ़ी

तो केंद्र ब्लैक लिस्ट होगा

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

अपराध की गंभीरता के आधार पर छात्रों को मिलेगा दंड

HINDUSTAN TIMES

LU strengthens exam system with stricter anti-cheating measures

HT Correspondent
letters@htlive.com

LUCKNOW : Lucknow University has approved a series of measures to make its examination system more transparent and technology-driven, including major amendments to the Unfair Means (UFM) ordinance. The decision was taken at a meeting of the examination committee on Friday.

The revised rules expand the definition of examination centres to include all affiliated colleges in addition to the university campus.

The scope of cheating has also been widened to cover the use of mobile phones, Bluetooth devices and other electronic gadgets, all of which have been banned inside exam halls, according to LU spokesperson prof Mukul Srivastava.

The committee also barred entry of outsiders and unauthorised personnel into examination centres and warned of strict disciplinary and legal action against staff found aiding candidates.

The university categorised penalties based on the severity of the offence. If a candidate is found carrying subject-related material, the examination for that particular paper will be cancelled. If copying material is used in the answer sheet, the entire semester or annual examination will be annulled. Tearing answer sheets, intimidating invigilators, or instigating a boycott of the examination may lead to expulsion from the university.

Besides, if a student attempts to flee with the answer sheet, an FIR will be lodged against them by the centre superintendent. Examination centres found involved in mass cheating will be blacklisted, the spokesperson said.

It was also decided that all practical examinations will be conducted under CCTV surveillance, and the footage must be preserved for three months. Before the declaration of results, 5% of answer sheets will undergo random rechecking, and an answer key will be prepared for each question paper.

Additionally, examiners' remuneration will now be processed through an online module. A fee of ₹300 has been fixed for scrutiny of entrance examination results, and examination forms for all semesters will be made available soon.

PENALTIES GRADED BY OFFENCE SEVERITY

- **Carrying material** -paper cancelled
- **Using material** -entire exam cancelled
- **Misconduct** - possible expulsion
- FIR will be filed if a student tries to flee with an answer sheet.
- Centres involved in mass cheating will be blacklisted.
- Practical exams to be held under CCTV; footage kept for three months.

AAJ

कक्ष निरीक्षक को धमकाने पर होगा परीक्षार्थी का निष्कासन

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में शुक्रवार को परीक्षा समिति की बैठक में नकल को लेकर कई कड़े फैसले लिए गये। इसमें उत्तर.पुस्तिका फाड़ने, नकल की सामग्री नष्ट करने, परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाने या कक्ष निरीक्षक को धमकाने जैसे कृत्यों पर विश्वविद्यालय से निष्कासन और पूरी परीक्षा निरस्त करने की कार्रवाई होगी। इसके अलावा यदि कोई परीक्षार्थी उत्तर.पुस्तिका लेकर भाग जाता है, तो केंद्र व्यवस्थापक द्वारा उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और छात्र को विश्वविद्यालय-महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा। प्रशासनिक भवन के मंथन कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने की। इसमें विभिन्न संकायों के अधिष्ठता, छात्र कल्याण संकाय, ललित कला संकाय, अभियांत्रिकी संकाय, प्रबन्धन अध्ययन संकाय, कृषि संकाय, योग एवं अल्टरनेटिव मेडिसिन संकाय, अभिनव गुप्त इंस्टीट्यूट ऑफएस्थेटिक्स एवं शैव फिलॉसफी के अधिष्ठता, लूटा एवं लुआक्टा के अध्यक्ष, सहित परीक्षा नियंत्रक ने सदस्य-सचिव के रूप में भाग लिया।

I NEXT

'स्पेशल फ्लाइंग स्क्वायड' रोकेंगे एग्जाम सेंटर्स पर नकल का खेल

बैकपेपर और एक्स स्टूडेंट्स को भी परीक्षार्थी की श्रेणी में किया जाएगा शामिल

lucknow@inext.co.in

LUCKNOW (27 March): लखनऊ यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को मंथल हॉल में वीसी प्रो. जेपी सैनी की अध्यक्षता में एग्जामिनेशन कमिटी की मीटिंग की गई, जिसमें एग्जाम कंट्रोलर, रजिस्ट्रार, फैकल्टीज के डीन, डीएसडब्ल्यू, लूटा, लुआक्टा के अध्यक्ष, महामंत्री, फाइनेंस ऑफिसर, आईपीपीआर डायरेक्टर आदि मौजूद रहे. मीटिंग में एग्जामिनेशन और एग्जाम सेंटर्स से रिलेटेड कई बड़े फैसले लिए गए.

अब एक्स स्टूडेंट भी परीक्षार्थी

एग्जामिनेशन कमिटी की मीटिंग में लिए गए फैसलों के क्रम में सभी सेमेस्टर्स के लिए एग्जामिनेश फॉर्म जल्द से जल्द खोले जाएंगे. इसके साथ ही यूएफएम में संसोधन करते हुए परीक्षा केंद्र और परीक्षार्थी के दायरे को स्पष्ट किया गया है. अब एलयू के साथ-साथ सभी एफिलिएटेड कॉलेज, जिन्हें एग्जाम सेंटर बनाया गया है, इस नियमावली के अधीन होंगे और परीक्षार्थी की कैटेगरी में रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ एक्स स्टूडेंट, बैकपेपर, इंप्रूवमेंट और एक्जेम्पटेड स्टूडेंट्स भी शामिल किए जाएंगे.

चीटिंग और सिक्योरिटी को लेकर भी फैसले

मीटिंग के अंतर्गत यूनिवर्सिटी की तरफ से टेक्नोलॉजी की ग्रोथ को देखते हुए चीटिंग की डेफिनिशन को बढ़ाया गया है और अब केवल कागज की पर्चियां नहीं बल्कि मोबाइल फोन, वायरलेस गैजेट्स, ब्लूटूथ या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को नकल माना जाएगा और अगर ये कोई समान किसी स्टूडेंट के पास मिलता है तो उसे भी अनुचित साधन माना जाएगा. वहीं एग्जाम सेंटर्स पर बाहरी लोगों की एंट्री बिल्कुल बैन रहेगी, क्लासेज के अंदर कर्मचारियों को जाने के लिए भी विशेष अनुमति की जरूरत रहेगी और अगर किसी एग्जाम सेंटर पर सामूहिक नकल की सूचना मिलती है तो उस कॉलेज को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा.

ये भी हैं जरूरी फैसले

- एग्जाम सेंटर्स पर चेकिंग के लिए वीसी की परमिशन से स्पेशल फ्लाइंग स्क्वायड की नियुक्ति की जाएगी, जो सेंटर्स पर नजर रखेंगे.
- अगर कोई परीक्षार्थी एग्जाम के दौरान कॉपी लेकर भाग जाता है तो केंद्र व्यवस्थापक द्वारा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया जाएगा.
- सभी प्रैक्टिकल एग्जाम्स सीसीटीवी की निगरानी में कराए जाएंगे. जिसकी रिकॉर्डिंग संबंधित कॉलेज द्वारा 3 महीने तक सेफ रखी जाएगी.
- स्क्रूटनी की 300 रुपए फीस रहेगी.
- रिजल्ट निकलने से पहले 5 परसेंट कॉपियां रिचेक की जाएंगी, हर क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट अवेलेबल करवाई जाएगी.
- परीक्षकों का मानदेय ऑनलाइन भरा जाएगा, जिसके लिए नया मॉड्यूल बनाया जाएगा.

आवश्यक सूचना

समस्त विज्ञापनदाताओं से अनुरोध है कि, विज्ञापन प्रकाशन हेतु हमारे प्रतिनिधि को दिये गये नगद भुगतान की रसीद यदि आपको उस प्रतिनिधि द्वारा 48 घंटे में प्रदान नहीं की जाती है, तो इसकी सूचना तत्काल

AMRIT VICHAR

प्रबंधन विकास कार्यक्रम में हिस्सा लेते विभिन्न स्थानों से आए अधिकारी। अमृत विचार

डाक विभाग को पेशेवर बनाने के लिए कार्यक्रम

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

- लविवि में प्रबंधन विकास कार्यक्रम की हुई शुरुआत

अमृत विचार: लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रबंधन विभाग में दो दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) का शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सर्किल के मुख्य डाक महानिदेशक कार्यालय के अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया है। विश्वविद्यालय की कंसल्टेंसी निदेशक डॉ. रितु नारंग ने बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य डाक विभाग के सिस्टम मैनेजर्स और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की पेशेवर दक्षता, तकनीकी विशेषज्ञता और विपणन क्षमता को सुदृढ़ करना है। उन्होंने जानकारी दी कि पहले दिन प्रदेश के विभिन्न जिलों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, बलिया और सहारनपुर से आए कुल 83 अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण को सिस्टम मैनेजर्स और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स के लिए अलग-अलग सत्रों में आयोजित किया गया, जिन्हें प्रबंधन एवं कंप्यूटर विज्ञान विभाग के विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा संचालित किया गया।

पहले दिन के सत्रों में डाक अधिकारियों के समक्ष आने वाली तकनीकी और प्रबंधकीय चुनौतियों पर विशेष ध्यान दिया गया। सिस्टम मैनेजर्स के लिए आयोजित सत्रों में डॉ. प्रिया द्वारा तनाव प्रबंधन, संजय मेधावी द्वारा मानव और मशीन के बीच समन्वय, पुनीत मिश्रा द्वारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क समस्याओं के समाधान, साइबर स्वच्छता और डेटा सुरक्षा पर प्रशिक्षण दिया गया। वहीं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स के लिए डॉ. निशांत कुमार ने पीओएसबी, पीएलआई, पार्सल और स्पीड पोस्ट सेवाओं के लिए बाजार अनुसंधान और व्यवसाय विकास रणनीतियों पर प्रकाश डाला। डॉ. अजय प्रकाश ने सामाजिक विपणन अभियान की योजना, जबकि डॉ. हिमांशु मोहन ने विपणन टीमों में नेतृत्व कौशल पर सत्र आयोजित किया।

सामूहिक नकल पर ब्लैक लिस्ट होंगे महाविद्यालय

लविवि में परीक्षा समिति की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार : लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित परीक्षा समिति की बैठक में नकल रोकने और परीक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विश्वविद्यालय अब नकल संबंधी मामलों के निस्तारण के लिए विशेषज्ञ समिति और छात्रों के लिए अपीलीय समिति का गठन करेगा। साथ ही सभी सेमेस्टर के परीक्षा फार्म जल्द खोले जाएंगे और "परीक्षा केंद्र" व "परीक्षार्थी" की स्पष्ट परिभाषा तय की गई है, जिसमें संबद्ध महाविद्यालयों के साथ एक्स-स्टूडेंट, बैक पेपर, इम्प्रूवमेंट और एक्जेम्प्टेड छात्र भी शामिल होंगे।

नए नियमों के तहत मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वायरलेस उपकरण सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग नकल की श्रेणी में माना जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और बिना अनुमति किसी भी कर्मचारी को परीक्षा कक्ष में जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी परीक्षार्थी की अनुचित सहायता करने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

दंड व्यवस्था को भी कड़ा किया गया है। विषय से संबंधित सामग्री मिलने पर प्रश्नपत्र निरस्त होगा, जबकि नकल का उपयोग करने पर पूरे सेमेस्टर की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। गंभीर मामलों में निष्कासन और एफआईआर तक दर्ज होगी।

सामूहिक नकल की स्थिति में संबंधित परीक्षा केंद्र की परीक्षा निरस्त कर उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, जिससे वह भविष्य में परीक्षा केंद्र नहीं बन सकेगा।

- नकल सामग्री पाए जाने पर अलग-अलग दंड का किया गया प्रावधान

एनएसएस विधि संकाय के छात्रों ने की स्वास्थ्य जांच

अमृत विचार, लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के विशेष शिविर के अंतर्गत रसूलपुर कायस्थ में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कार्यक्रम अधिकारियों डॉ. शशि प्रभा जोशी एवं डॉ. चंद्र शेखर राय के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन मे संपन्न हुआ। स्वयंसेवकों ने घर-घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य शिविर की जानकारी दी और अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। स्वास्थ्य शिविर में रीजेंसी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने भाग लिया। शिविर में कुल 38 लोगों ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए परामर्श प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान स्वयंसेवकों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई। अंत में सभी प्रतिभागियों एवं स्वयंसेवकों ने समूह फोटो खिंचवाकर इस आयोजन को स्मरणीय बनाया।

NBT

अब फुसफुसाहट भी नकल

परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के नए नियम सख्त

NBT न्यूज, लखनऊ : LU ने परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए नकल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। परीक्षा समिति की बैठक में नए दंड विधान को मंजूरी दी गई है, जो आगामी सेमेस्टर परीक्षाओं से लागू होगा। नकल प्रकरणों की समीक्षा के लिए विषय विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी, जिसकी संस्तुति के आधार पर दंड निर्धारित होगा।

क्या है नया बदलाव

- सिर्फ पर्ची नहीं, बगल वाले से बात करना भी नकल माना जाएगा
- नकल की परिभाषा को पहले से ज्यादा व्यापक बनाया गया
- सभी संबद्ध कॉलेजों और परीक्षा केंद्रों पर भी नियम लागू

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बैन

- मोबाइल, ब्लूटूथ, वायरलेस डिवाइस पर रोक
- किसी भी प्रकार के गैजेट का इस्तेमाल नकल की श्रेणी में
- प्रत्यक्ष-परोक्ष मदद लेना भी UFM (अनुचित साधन)

परीक्षा केंद्रों पर सख्ती

- बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध
- कॉलेज स्टाफ भी बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकेगा
- मदद करते पकड़े जाने पर कर्मचारियों पर भी कार्रवाई

सामूहिक नकल पर ऐक्शन

- किसी केंद्र पर सामूहिक नकल की शिकायत पर पूरी परीक्षा रद्द
- दोषी केंद्रों को किया जाएगा ब्लैकलिस्ट
- भविष्य में परीक्षा केंद्र बनने पर रोक

AI Image

निगरानी और जांच व्यवस्था

- कक्ष निरीक्षकों को तलाशी लेने का अधिकार
- नकल करते पकड़े जाने पर कॉपी और सामग्री जब्त
- कुलपति के निर्देश पर उड़नदस्ते करेंगे औचक निरीक्षण

दंड के नए नियम

- सामग्री मिली लेकिन उपयोग नहीं: सिर्फ वही पेपर रद्द
- सामग्री का उपयोग किया: पूरा सेमेस्टर निरस्त
- कॉपी फाड़ना/धमकी देना: निष्कासन + परीक्षा रद्द
- उत्तर-पुस्तिका लेकर भागने पर FIR होगी

हर हॉस्टल में होगी काउंसलिंग सेल, रिसर्च स्कॉलर करेंगे मदद

NBT रिपोर्ट, लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय के अब हर हॉस्टल में एक काउंसलिंग सेल बनाई जाएगी। इसमें विवि के ही रिसर्च स्कॉलर छात्रों की काउंसलिंग करेंगे। हॉस्टल के छात्र-छात्राओं को तनाव प्रबंधन व मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए विवि की ओर से यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा विवि के हॉस्टलों में मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर विजिट करेंगे। इससे छात्रों को नियमित मेडिकल कंसल्टेशन मिल सकेगा। इसके लिए अलग-अलग डॉक्टरों को विश्वविद्यालय के हॉस्टलों से जोड़ा जाएगा। विवि की नई DSW प्रो. अमिता कनौजिया व चीफ प्रोवोस्ट आशीष अवस्थी ने चार्ज लेने के बाद अब यह व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।

LU में की तैयारी, डॉक्टरों को भी जोड़ा जाएगा, करेंगे हॉस्टल विजिट

प्रो. अमिता ने बताया कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत 6 सदस्यों की कमिटी बनाई जाएगी। इसमें विवि के साइकोलॉजी विभाग के रिसर्च स्कॉलरों को रखा जाएगा। ये स्कॉलर हॉस्टलों में नियमित काउंसलिंग करेंगे। सीनियर रिटायर्ड डॉक्टर जो निःशुल्क सेवा देने को तैयार हैं, उनकी हॉस्टल में नियमित विजिट होगी।

वेलनेस के लिए होगा योगा सेशन

प्रो. आशीष ने बताया कि छात्रों की वेलनेस के लिए अब नियमित योगा सेशन भी हॉस्टल में होगा। इसके लिए विवि के योग विभाग के एक्सपर्ट की मदद ली जाएगी। वह हॉस्टल में रोज सुबह एक घंटा योगाभ्यास कराएंगे। इससे छात्रों को फिट रहने में मदद मिल सकेगी।

DAINIK JAGRAN

स्वास्थ्य शिविर में हुई निश्शुल्क जांचें

लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की दोनों इकाइयों की ओर से आयोजित सात दिवसीय विशेष शिविर के अंतर्गत शुक्रवार को रसूलपुर कायस्थ में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वयंसेवकों ने गांव में घर घर जाकर स्वास्थ्य शिविर के प्रति लोगों को जागरुक किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य शिविर में रीजेंसी हास्पिटल की डाक्टरों की टीम मौजूद रही। यहां लोगो ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं डाक्टरों को बताईं। सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें रक्तचाप, शुगर आदि की जांच कर परामर्श एवं दवाइयां दी गईं। इस अवसर पर एनएसएस की कार्यक्रम अधिकारी डा. शशि प्रभा जोशी, डा. चंद्र शेखर राय मौजूद रहे। वि.

HINDUSTAN

एलयू में दो कोर्सों के परीक्षा परिणाम जारी

एलयू में 2025-26 विषम सेमेस्टर परीक्षा के तहत परास्नातक स्तर पर दो पाठ्यक्रमों का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। जिसे विद्यार्थी एलयू की वेबसाइट पर देख सकते हैं।